न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 14/2016

धनपाल पुत्र हरसहाय जाति मीना निवासी मंडावर जिला दौसा राज0

..अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा
2. ताराचन्द पुत्र पूरणमल
3. इन्दर प्रसाद पुत्र श्रीकिशन
   जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर जिला दौसा
4. श्री ठाकुरजी राधावल्लभ जी विराजमान ग्राम मण्डावर तहसील महवा हाल मडावर जिला दौसा जरिये पुजारी तारचंद व इन्दर प्रसाद

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 220 दिनांक 1.5.1977 ग्राम मण्डावर खिलाफ आदेश तहसीलदार महवा जिला दौसा

उपस्थित—1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2.श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 (अनुपस्थित)
3. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांकः 30.05.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा द्वारा दिनांक 1.5.1977 को ग्राम मण्डावर का नामान्तरण सं0 220 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट् व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि अपीलांट को व अपीलांट के पिता को उक्त नामान्तरण तस्दीक करते वक्त सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया व सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया। उक्त नामान्तरण का अपीलांट को पूर्व में कभी पता नहीं चला। रेस्पों0 नं0 2 कदनांक 16.5.2016 को यह कहने लगा कि उक्त भूमि के व्यवस्थापक का नामान्तरण मेरे पिता के नाम से पूर्व में ही हो चुका है। जिस पर उसी दिन दौसा आकर राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तरण के बारे में मालुम किया जिस पर नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन करने पर प्रति दिनांक 24.5.2016 को मिली है। इस प्रकार इल्म से यह अपील अंदर मियाद पेश है। चूंकि नामान्तरण अपीलांट व अपीलांट के पिता के पीछे से एब इन इश्यू वाईड व शून्य व क्षेत्राधिकार के बाहर तस्दीक किया गया है जिसकी अपील के लिए कोई मियाद नहीं होती है, फिर भी रफाये हुज्जत के लिए दफा 5 कानून मियाद के आवेदन पत्र के साथ उक्त अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जाकर देरी को माफ किया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अत्यधिक विलंब से पेश की गई है [illegible] को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर [illegible] फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की दफा 5 कानून मियाद के [illegible] पर बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया [illegible] द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested

4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर,दौसा

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश तस्दीक नामान्तकरण जेर अपील विधि तथ्यो एवं प्रक्रिया के खिलाफ होने की वजह से प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्तनीय है। आराजी जेर वर्णित नामान्तकरण साबिक खसरा नम्बर 438 रकबा 3 बीधा 4 बिस्वा वाके ग्राम मण्डावर तहसील महुवा अपीलान्ट के पिता हरसहाय पुत्र रूडया कौम मीना सा. देह की खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे अपीलान्ट के पिता के नाम का इन्द्राज नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 5 मे हो रहा है। उक्त भूमि का एब इन इश्यू वाईड व शून्य इन्द्राज ठाकुरजी श्री राधाबल्लभ जी प्रबन्धक पुजारी पूरणमल के नाम से करने मे कानूनी त्रुटि की है जो कि एब इन इश्यू वाईड एवं शून्य है, जो काबिले निरस्तनीय है। नामान्तकरण मे कब्जा महत्वपूर्ण बिन्दु होता है, किन्तु विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार ने बिना कब्जे की जांच किये एवं बिना कब्जे की रिपोर्ट लिये उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि की है जो कि काबिले निरस्तनीय है। जब यह नामान्तकरण तस्दीक किया गया उस समय तहसील महुवा, उप जिलाधीश हिण्डोन के तहत आती थी। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार ने उक्त नामान्तकरण जेर अपील किसी मुतफरिक आदेश के आधार पर तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि की है जो कि प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का ने ठाकुरजी श्री राधाबल्लभजी पुजारी पूरणमल पुत्र लालजी जाति ब्राहम्ण के नाम खोलकर दिनांक 04.08.1976 को उक्त नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 16 मे रिपोर्ट की है। उक्त पूरणमल का स्वर्गवास हो चुका है, रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 उसका पुत्र है, इसलिये इस अपील मे रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को पक्षकार बनाया गया है। न्याय का सामान्य सिद्वान्त है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया जावे, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, एवं सबूत का भी अवसर दिया जाना चाहिये। किन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता हरसहाय को कोई नोटिस नही दिया एवं कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि की है जो कि काबिले निरस्तनीय है। किसी भी मुतफरीक आदेश के आधार पर नामान्तकरण नही खोला जा सकता है। नामान्तरण तो सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिकी के आधार पर इजराय पेश होने पर इजराय मे ही खोला जा सकता है। किन्तु विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार ने बिना विचार किये, कानून के स्पष्ट प्रावधानो के खिलाफ उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि की है। आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 3 बीधा 4 बिस्वा वाके ग्राम मण्डावर कोई माफी मन्दिर की भूमि नही थी, और न ही है। उक्त भूमि तो खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 इन्दरलाल की स्वयं की खातेदारी की भूमि थी, जिस भूमि से पूरणमल व रेस्पोडेन्ट ताराचन्द का कतई कोई सम्बन्ध नही था। उक्त भूमि के खातेदार इन्दरमल से अपीलान्ट के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उक्त भूमि सन 1964 मे खरीद की थी, तब से अपीलान्ट का पिता उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट भी अपने पिता के जीवनकाल से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। किन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये हुये ही उक्त नामान्तरण तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि की है। माफी मन्दिर की भूमि का नामान्तरण भी केवल मात्र ठाकुरजी के नाम से ही होता है। ठाकुरजी की खातेदारी की भूमि मे कानूनन पुजारी का नाम बतौर प्रबन्धक व पुजारी के नही लिखा जाता है। इसलिये उक्त नामान्तरण जेर अपील स्पष्ट रूप से सरकार के आदेशो के खिलाफ होने की वजह से प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्तनीय है। ठाकुरजी श्री राधाबल्लभजी के पुजारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 अवश्य है, लेकिन वे कोई ठाकुरजी के प्रबन्धक नही है। किन्तु विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार ने स्वर्गीय पूरणमल एकेले को बतौर प्रबन्धक बतलाकर जो उसके नाम नामान्तकरण तस्दीक किया है वह सर्वथा कानून के विपरीत होने की वजह से काबिले निरस्तनीय है। किसी भी मन्दिर के पुजारी व प्रबन्धक के सम्बन्ध मे निर्णय करने का कोई अधिकार राजस्व न्यायालय (तहसील[illegible] जिलाधिश व अन्य को) प्राप्त नही है। इसके सम्बन्ध मे तो केवल मात्र सिवि[illegible] है, किन्तु विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार के बारह एव इन इश्यू वाईड [illegible] शून्य पूरणमल को प्रबन्धक व पुजारी बतलाकर उक्त नामान्तरण तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि [illegible] है जो कि काबिले निरस्तनीय है। उक्त भूमि के किसी भी राजस्व रिकार्ड मे स्वं. पूरणमल को प्रबन्धक व पुजारी दर्ज नही कर रखा है उसके बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के खिलाफ उक्त नामान्तकरण एब इन इश्यू वाईड

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

एवं शून्य तस्दीक करने मे कानूनी त्रुटि की है। पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरण दिनांक 04.08.1976 को भरा एवं गिरदावर हल्का ने दिनांक 21.08.1976 को जो रिपोर्ट की है वह भी जमाबन्दी के खिलाफ है उक्त नामान्तरण भरने के पश्चात 9 माह बाद अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण गुप्त रूप से तस्दीक किया गया है, इस 9 माह के अन्तराल मे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता हरसहाय को कोई नोटिस नही दिया गया, जो नामान्तरण के तस्दीक का आदेश है उसमे भी कोई सुनवाई का या उपस्थिति का अंकन नही है। उक्त नामान्तकरण जेर अपील स्पष्ट रूप से कानून के खिलाफ एवं एब इन इश्यू वाईड व क्षेत्राधिकार के बाहर होने की वजह से प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्तनीय है। साबिक खसरा नम्बर 438 वाके ग्राम मण्डावर से दौराने भू प्रबन्ध मौजूदा खसरा नम्बर 1423 लगायत 1456 बने है। उक्त भूमि की मौजूदा जमाबन्दी मे भी उक्त नामान्तकरण का कोई हवाला नही है। चूँकि उक्त नामान्तरण एब इन इश्यू वाईड एवं शून्य है। उक्त भूमि का खातेदार अपीलान्ट का पिता हरसहाय उक्त भूमि के खरीद दिनांक 30.05.1964 के बाद से ही चला आ रहा है। किन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने कानून के खिलाफ उक्त नामान्तकरण तस्दीक करके मौजूदा राजस्व रिकार्ड मे उक्त गलत इन्द्राज के आदेश देने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण जेर अपील नम्बर 220 दिनांक 01.05.1977 वाके ग्राम मण्डावर तहसील महुवा को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार महवा द्वारा ग्राम मण्डावर स्थित नामान्तरण सं0 220 दिनांक 1.5.1977 विधिवत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. हमने विवादित नामान्तरण सं0 220 का अवलोकन किया गया जो कि न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन नंबरी 4319 आरए कमांक 1990 ता. 21.8.1976 पत्रांक तहसील 1920/आरए/दिनांक 2.8.1976 के आदेश की अनुपालना में तहसीलदार महवा द्वारा खोला गया है। प्रार्थी यदि उक्त आदेश से व्यथित है तो उक्त न्यायालय आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए थ। यह निर्णय तहसीलदार महवा द्वारा नहीं लिया जा सकता कि वह न्यायालय आदेश की अनुपालना हो रही है। चूंकि उक्त आदेश न्यायालय के अनुपालना में खोला गया है अतः नामान्तरण में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। जहॉ तक उक्त नामान्तरण में पुजारी का नाम दर्ज करने का सवाल है तो इस संबंध में तहसीलदार महवा को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण को परीक्षण कर राजस्व विभाग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों का अवलोकन कर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Signature Not Verified

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:29 IST
Reason: SelfAttested